


**प्रारम्भिक अधिसूचना**

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण ) के लिये ग्राम- जरेरूआ ,अतिरिक्त प्रस्ताव तहसील- बामौर, उपखण्ड- बामौर, जिला-मुरैना में कुल किता 08 कुल अर्जित रकवा 0.829 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-बामौर के ग्राम-जरेरूआ, प.ह.न. 13 रा.नि. वृत्त-02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 08 व कुल अर्जित रकवा 0.829 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1302	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	नरेश पुत्र भोजराज हि 1/2 केशकली बेवा करतार रिकू गौरव रचना पि करतार सभा हि 1/2 जाति गु ठा निवासी ग्राम
2	1344	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	रामलखन, राधेश्याम, राजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
3	1345	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	भूपेन्द्र ना बा० पिता लज्जाराम सर. माँ खुर्द राजाबेटी, राजाबेटी बेबा. लज्जाराम 1/4 माता प्रसाद पिता बाबू सिंह हि 1/2 जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
4	1346	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.194	मु. रामवती बेवा बाबूलाल पप्पन कालीचरन जीतेन्द्र पिता बाबूलाल राजाबेटी नाबा० पि० बाबूलाल सर. मा. खुद समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम
5	1347/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	रामवरन पुत्र रामकिशुन जाति कुशवाह नि ग्राम भूमिस्वामी
6	1347/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	नरेश पुत्र रामकिशुन जाति कुशवाह नि ग्राम भूमिस्वामी
7	1348	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामलखन, राधेश्याम, राजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
8	1356	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0350	रामसेवक दिलीपकुमार पिता द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.50
कुल किता 08 व कुल अर्जित रकवा				0.829	



1 यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना

तारीख : 23/03/21

( बी0 कार्तिकयेन )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (म0प्र0)


प्र.क्र. 14 / अ-82 / भू-अर्जन / जरेरूआ अति0 प्रस्ताव/3941 मुरैना, दिनांक : 23 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी की ओर सूचनार्थ
5. तहसीलदार, बामौर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

( बी0 कार्तिकयेन )

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (म0प्र0)



(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम शेखपुर प०ह०क०-50 रा०नि० वृत्त-02 तहसील-कैलारस उपखण्ड-कैलारस जिला-मुरैना में कुल 0.714 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-शेखपुर प०ह०क०-50 रा०नि० वृत्त-02 तहसील-कैलारस उपखण्ड-कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
- क. जिला
- ख. तहसील
- ग. ग्राम
- घ. लगभग क्षेत्रफल

मुरैना  
 कैलारस  
 शेखपुर  
 0.714 हेक्टेयर

क्रस.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	277/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.078	नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवेक पुत्रगण अमरसिंह जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
2	277/3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.077	रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि० 26/51 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि० 20/51 जाति जाठव रघुवीर पुत्र राजराम हि० 5/51 जाति त्यागी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
3	278/5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.005	जसबन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
4	278/6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.098	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
5	291/5	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.056	भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
6	293/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.129	भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।


7	294	शासकीय पट्टेदार	कृषिभूमि	0.052	रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी शासकीय पट्टेदार।
8	295/1/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.074	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
9	295/1/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.057	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
10	296/6/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.019	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
11	296/6/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.069	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि. ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 11 सर्वे नं. में				<b>0.714</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना

तारीख : 31/03/21


  
(बी. कार्तिकेयन)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

21/3/21

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म०प्र० भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, परगना कैलारस की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन / चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



(बी. कार्तिकेयन)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला मुरैना(म०प्र०)

